न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूलचन्द आर.ए.एस

अपील संख्या 2018/00018 (18/2017) 225 आरटीएक्ट

1. शरीफॉ पत्नी पीरबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. अल्लादित्ता पुत्र पीरबक्श जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. हरीला पुत्री पीरबक्श पत्नी हनीफ जाति मुसलमान निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.12.2017 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र0 संख्या 1/2017 बख्तवानी शरीफॉ बनाम अल्लादित्ता आदि

श्री राजीव कुलरेष्ठ, अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री खुशप्रीतसिंह संधू रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 3

निर्णय

दिनांक –15.03.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया कि प्रार्थीया के पति पीरबक्श ने अपने जीवनकाल में दो शादीयॉ की थी जिसमें से प्रथम शादी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पैदा हुए थे। पीरबक्श की दूसरी शादी प्रार्थीया से हुई। जिससे उसके कोई संतान पैदा नही हुई। पीरबक्श ने जीवनकाल में अपनी खरीदशुदा 5 बीघा कृषि भूमि की वसीयत प्रार्थीया के पक्ष में करवा दी थी। लेकिन यह भूमि अभी भी पीरबक्श के नाम से होने से उसके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। जिसकी उद्घोषणा हेतु वाद विचाराधीन है। इसलिए वादपत्र के मद संख्या 6 में वर्णित भूमि बाबत अस्थाई निषधाज्ञा का अनुतोष चाहा, जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्टा द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिकारों की घोषणा हेतु वाद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। प्रश्नगत 5 बीघा भूमि की वसीयत पीरबक्श ने अपीलाण्टा के हक में दिनांक 06.08.1991 को तहरीर कर नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित करवा दिया था। इस वसीयत के आधार पर अपीलाण्टा खातेदार है। इसकी जानकारी सभी पक्षकारान को दे दी थी फिर भी पीरबक्श के फौत होने पर विरास्तन इन्तकाल खुल गया है। उस आधार पर इस भूमि के रहन, बय व अन्य तरीके से हस्तान्तरित होने से एवं अपीलाण्टा के कब्जे में मदाखलत करने का पूर्ण अन्देशा है। इसलिए ताफैसला दावा प्रश्नगत भूमि को रहन बैय व अन्य तरीक से मुन्तकिल नही किया जावे एवं अपीलाण्टा के कब्जे में मदाखलत न करने के लिए रेस्पोडेण्ट को पाबंद फरमाया जाने का कथन किया। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मुस्लिम विधि में कोई व्यक्ति 1/3 हिस्सा से अधिक भूमि की वसीयत नही कर सकता है। इसलिए वसीयत के आधार पर अपीलाण्टा का कोई अधिकार सृजित नही होते हैं। पीरबक्श की मृत्यु के उपरान्त भूमि का नामान्तरणकरण विरासतन दर्ज हो चुका है। जिसकी अपील विचाराधीन है। रेस्पोडेण्ट अभिलिखित खातेदार है, जिसके विरूद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वसीयत सिर्फ चक 6 डीएलपी की 5 बीघा भूमि की ही बता रहे हैं जबकि स्थगन अन्य चकों की भूमि पर भी प्राप्त करना चाहते हैं। कानूनन आवेदन पत्र अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीक से खारिज किया है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्टा ने चक 6 डीएलपी व चक 8 एमएमके में वर्णित भूमि बाबत स्थगन विचारण न्यायालय के समक्ष चाहा गया था। जिसमें से चक 6 डीएलपी के प. नं. 137/195 मु. नं. 97 के किला नं. 6, 7, 8, 14, 15 की कुल 5 बीघा भूमि पर वसीयत के आधार पर बतौर मालिक खातेदार काबिज होने के आधार पर भी स्थगन चाहा था। प्रश्नगत भूमि पीरबक्श के नाम से अभिलेख में दर्ज होने एवं उसके फौत होने के बाद उसके वारिसान के नाम से नामांरणकरण दर्ज होने संबंधित कथन किये हैं। विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने एवं वसीयत की वैधता का निर्णय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। जबकि वसीयत की वेधता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण साक्ष्य आने के पश्चात् ही कोई निर्णय होना है। इस बीच

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अगर वसीयत में अंकित भूमि रहन, बय व अन्तरण हो जाती है तो प्रार्थीया/अपीलाण्टा को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है एवं आइन्दा मुकदमेबाजी बढने की संभावना है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय आंशिक रूप से संशोधित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2017 आंशिक रूप से संशोधित करते हुए आदेश दिया जाता है कि रेस्पो0 चक चक 6 डीएलपी के प. नं. 137/195 मु. नं. 97 के किला नं. 6, 7, 8, 14, 15 की कुल 5 बीघा भूमि को ताफैसला वाद रहन, बय व अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/3/19

(मूलचन्द आर.ए.एस.)

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official